31.03.2026 आवेदकगण द्वारा श्री विमल नागर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री जी.एस. कुशवाह उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदनपत्र पर विचार व केस डायरी प्राप्ति हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र भौंरासा के अपराध कमांक 63/2026, अंतर्गत धारा 119(1), 126(2), 115(2), 296(B), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 से उद्भूत केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुत।

प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक	63/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	28.02.2026
आरक्षी केन्द्र	भौंरासा, जिला देवास म.प्र.
अभियुक्त की गिरफतारी की तिथि	24.03.2026 एवं 25.03.2026
जमानत आवेदन पत्र का प्रकम (अनुसंधान गतिशील है/अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है)	अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोग पत्र कता किया जा चुका है।
अभियोग पत्र की तिथि	लागू नहीं
अपराध अंतर्गत धारा 119(1), 126(2	119(1), 126(2), 115(2), 296(B), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023
आपराधिक पृष्ठ भूमि	अन्य 4-4 मामले पंजीबद्ध होना बताया गया है।

31.3.26
(राकेश जमरा)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
सोनकच्छ जिला देवास (म.प्र.)

—558—DCGCPB—11-3-24—2,00,000.

Order Sheet (Contd)

Case No. . . . . .of 20. . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders where necessary

प्रकरण में उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें असत्य आधार पर आलिप्त कराया गया है, अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है, इसलिए पुलिस को उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण न्यायिक अभिरक्षा में होकर मामले के विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

आवेदकगण की ओर से तूफानसिंह पिता चिमनसिंह का शपथ पत्र आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत कर यह उद्घोषित किया गया है कि प्रथम जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई आवेदन लंबित अथवा निराकृत नहीं हुआ है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सूचनाकर्ता/आहत राहुल द्वारा आरक्षी केन्द्र भौंरासा में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक 27.02.2026 की रात्रि करीब 10:30 बजे वह तथा उसके साथ शराब की दुकान पर काम करने वाले शरद साहू, संजय पाठक व अनिल शर्मा नेवरी फाटा स्थित शराब की दुकान पर जा रहे थे। नेवरी फाटा स्थित शराब की दुकान से थोड़ा आगे पहुंचे, तभी बलराम, उसका दोस्त संदीप दोनों एक सफेद रंग की एक्स.यू.वी गाड़ी से आये और उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर उनका रास्ता रोककर मां–बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे, उसके साथ थापड़–मुक्की से मारपीट की और बोले कि अगर उसे दुकान चलानी है तो उन्हें हर महीने हफ्ता वसूली में रुपये देने होंगे, नहीं तो उसे शराब की दुकान नहीं चलाने देंगे। बीच बचाव शरद शाहू, अनिल व संजय के द्वारा किया गया तो जाते जाते अभियुक्तगण ने जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र भौंरासा में अपराध कमांक 63/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 119(1), 191(2), 296, 331(6), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र क. 82/26.03.2026 कता किया गया है।

आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा कोई रुपयों की मांग कर आहत के

3/03/26

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders where necessary

साथ मारपीट नहीं की गई है, उन्हें असत्य रूप से आलिप्त किया गया है। आवेदकगण न्यायिक अभिरक्षा में होकर कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा रात्रि के समय आहत क वाहन का रोककर अवैध रुपयों की मांग कर मारपीट कर उपहति कारित की गई है। आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया।

मामले में अभियोजन कहानी अनुसार आवेदकगण द्वारा एकमत होकर सूचनाकर्ता/आहत का रास्ता रोककर आहत को गाली गलौंच कर अवैध रुपयों की मांग कर थापड़—मुक्की से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया गया है। मामले में अनुसंधान के दौरान आवेदकगण से जब्ती संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय दस्तावेज में आहत को केवल साधारण प्रकृति की उपहति कारित होना दर्शित है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय होकर आवेदकगण दिनांक **24.03.206 व 25.03.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले के जांच एवं विचारण में समय लगने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया आवेदकगण के फरार होने की संभावना दर्शित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मामले की प्रकृति एवं संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाता है और आदेश किया जाता है कि यदि आवेदकगण की ओर से **20,000—20,000/— रुपये (बीस—बीस हजार रुपये)** की एक—एक सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि के स्वयं के बंधपत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किये जावें तो आवेदकगण को जमानत पर छोडा जाये:—

शर्तें:—

01— आवेदकगण जांच एवं विचारण में नियमित रूप से उपस्थित होंगे।

02— आवेदकगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी रीति से प्रभावित अथवा प्रलोभित नहीं करेंगे।

03— आवेदकगण आरोपित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगें।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ एवं एक प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर, हस्ताक्षरित प्रति स्केन कर पी.डी.एफ. फार्मेट में अपलोड की जाए।

पत्रावली नियत अवधि में अभिलेखागार भेजी जाए।

31/03/26

(राकेश जमरा)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला देवास (म.प्र.)